प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,
1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति,
   जनपद गोरखपुर।
2. मुख्य चिकित्साधिकारी,
   जनपद गोरखपुर।

पत्रांक—एस.पी.एम.पू./एन.एच.एम./सहयोगीकारक पर्यवेक्षण/2019-20/।

दिनांक: 25.08.2019

विषय— राज्य स्तरीय दल द्वारा 23 से 26 जुलाई 2019 तक किये गये पर्यवेक्षण की आख्या पर कार्यवाही
   किये जाने के समबन्ध में।

महोदय,

कृपया एस.पी.एम.पू. कार्यालय पत्र सं/0 SPMU/NHM/M&E/2019-20/18/2867-2 दिनांक 01-07-2019 का संदर्भ
   ग्रहण करने का कद्दू करें। जिसके क्रम में, राज्य स्तरीय दल द्वारा दिनांक 23 से 26 जुलाई 2019 तक
   जनपद गोरखपुर की चिकित्सा इकाईयों का सहयोगीकारक पर्यवेक्षण किया गया। राज्य
   स्तरीय दल द्वारा जनपद की चिकित्सा इकाईयों का स्थानीय पर्यवेक्षण के दौरान प्रकाश में आये किसी
   आचार पर भीतरिक एवं वितरिक भ्रष्टाचार आख्या प्रस्तुत की गयी है जो कि पत्र के साथ संलग्न
   कार्यवाही हेतु प्रस्तित की जा रही है।

अपेक्षा अनुसरण है कि समविधित विन्यासों पर आवश्यक कार्यवाही करने का कद्दू करें।

संलग्न: पर्यवेक्षण आख्या

भारतीय

(थोड़ेम अध्यक्ष) ए)

अपर निदेशक

पत्रांक—एस.पी.एम.पू./एन.एच.एम./सहयोगीकारक पर्यवेक्षण/2018-19/

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सुविधापूर्वक प्रस्तुत करें—
1. मण्डलाद्यकार, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर, 09:40।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, थिओपी/एच.एम. एवं पकम, गोरखपुर मण्डल।
3. अधिशीर्षी अभियंता, समस्त महाप्रबंधक/अनुमानाध्यक्ष, एस.पी.एम.एम.एम., 09:40।
4. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम.एम., गोरखपुर मण्डल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तित।
5. जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, गोरखपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तित।

(डा० अच्युत कुमार)

महाप्रबंधक राष्ट्रीय कार्यक्रम/मण्डलीय नोडल – गोरखपुर
23-26 जुलाई 2019

1. स्वास्थ्य उपकरण— भगौरा, शहजानवा, गोरखपुर।

<table>
<thead>
<tr>
<th>कम संख्या</th>
<th>अवलोकन विषय</th>
<th>सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है</th>
<th>जिम्मेदार व्यक्ति</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की कोई व्यवस्था नहीं पाई गई।</td>
<td>दल द्वारा एफएनएम० को उपकरण में बायो वेस्ट इतना एक पिट बनाने हेतु सुझाव दिया गया।</td>
<td>एफएनएम०</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>प्रिणटेड एफएनएम० रजिस्टर, प्रसूति रजिस्टर, परिवार नियोजन रजिस्टर उपकरण में नहीं पाये गये।</td>
<td>प्रिणटेड एफएनएम० को निर्दिष्ट किया गया कि वह प्रिणटेड एफएनएम० रजिस्टर, प्रसूति रजिस्टर, परिवार नियोजन आदि के रजिस्टर एफएनएम० को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।</td>
<td>विभागीय अधिकारी</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>परिवार नियोजन सम्बंधी कोई भी साधारण उपलब्ध नहीं था।</td>
<td>परिवार नियोजन कोई भी साधारण उपलब्ध नहीं था। परिवार नियोजन के अधिकारी साधारण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।</td>
<td>विभागीय अधिकारी</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>प्रसव कक्ष में मानकानुसार ट्रे, कैलिसियम पैड, डिजीटल वॉच, ब्लाइटर की सुचिका, प्रसव सम्बंधी औषधियों, ग्लास, ग्लुको मीटर का रिपोर्ट, आईएफएम० सिरप आदि उपलब्ध नहीं थे। उपकरण पर मात्र 2 प्रसव ही वर्ष हुए हैं। उपकरण की हालत देखने में प्रश्न उत्पन्न हुआ कि उपकरण पर प्रसव नहीं होते हैं, जबकि एफएनएम० अधिकारी सिंह एसएमएम० प्रशिक्षण प्राप्त है।</td>
<td>प्रसव कक्ष हेतु आवश्यक समाधी, आवश्यक एवं अन्य उपकरण की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु चिकित्सा अधिकारी को सुझाव दिया गया। उक्त के साथ ही चिकित्सा अधिकारी को सुझाव दिया गया कि एफएनएम० को द्वारा अन्य उपकरणों पर भी प्रसव पर सहायता ली जा सकती है।</td>
<td>चिकित्सा अधिकारी</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2. सम्मेलनाधिकारी स्वास्थ्य कोण्ड—सहजानवा—एफएनएम०, गोरखपुर।

<table>
<thead>
<tr>
<th>कम संख्या</th>
<th>अवलोकन विषय</th>
<th>सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है</th>
<th>जिम्मेदार व्यक्ति</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>चिकित्सालय के ऑटोम१ में एससी चिकित्सा नहीं थी। व्यायाम ट्रॉली किया था। आदि उपकरण पर सही अन्य उपकरण नहीं हैं। ऑटोकेबल मशीन ऑटोम१ कक्ष में प्रयोग में लाया जा रहा है।</td>
<td>चिकित्सा चिकित्सालयाधिकारी को सुझाव दिया गया कि सम्प्रभुत ड्युइं जिन चिकित्सा औद्योगिकारी कि हो सकता है उपकरण की व्यवस्था करने वाले ऑटोकेबल मशीन को नियमानुसार ऑटोम१ कक्ष में अंतरित किया जा सके।</td>
<td>एमएफएम० शहजानवा</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>डिजीटल वॉच उपलब्ध नहीं थी।</td>
<td>वॉच लगावने हेतु सुझाव दिया गया।</td>
<td>एमएफएम० शहजानवा</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>संक्रमण से बचाव के प्रोटोकॉल का पॉलो स्टाफ द्वारा नहीं किया जा रहा है। सीरिज एवं रेडर एक ही डाटाबास में दिलाने की जा रही है।</td>
<td>स्टाफ नर्सी/एफएनएम० को संक्रमण से बचाव के प्रोटोकॉल के सम्बन्ध में अपमानित किया गया। सीरिज को हवा कटर से काट कर सार्वजनिक में रखकर विशिष्ट संशोधन करने का सुझाव दिया गया।</td>
<td>एफएनएम० संक्रमण नर्सी/एफएनएम०</td>
</tr>
<tr>
<td>कम संख्या</td>
<td>अवलोकन बिंदु</td>
<td>सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है।</td>
<td>जिम्मेदार व्यक्ति</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>----------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>एचओएन०पी० रजिस्टर उपलब्ध नहीं था।</td>
<td>बोईसीपी०एम० को एचओएन०पी० रजिस्टर, समाप्ती वितरण रजिस्टर आदि एन०एम० को उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।</td>
<td>बोईसीपी०एम०</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>गर्म निरोधक समाप्ती वितरण रजिस्टर उपलब्ध नहीं था।</td>
<td>एन०एम० को सुझाव दिया गया कि वह समुदाय को परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में जानकारी नहीं दे।</td>
<td>एन०एम०</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>सत्र में उपस्थित लोगों को परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में जानकारी नहीं थी।</td>
<td>एन०एम० को सुझाव दिया गया कि वह समुदाय को परिवार नियोजन एवं अन्य कार्यक्रमों के विषय में निराकर जानकारी दे।</td>
<td>एन०एम०</td>
</tr>
</tbody>
</table>

4. स्वास्थ्य उपकरण—चौरिया बुजुर्ग, ब्लॉक—कौडीराम

<table>
<thead>
<tr>
<th>कम संख्या</th>
<th>अवलोकन बिंदु</th>
<th>सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है।</th>
<th>जिम्मेदार व्यक्ति</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>इस उपकरण में प्रति माह 30-35 प्रश्न हो रहे हैं, परन्तु श्रीमती सावित्री शिखरएन०एम० एस०बी०एन० प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है।</td>
<td>प्रभारी विकल्पसाधिकारी को सुझाव दिया गया कि वह एन०एम० को एस०बी०एन० प्रशिक्षण हेतु नामित करे।</td>
<td>एन०एम०</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>उपकरण में ब्यायालय उपलब्ध नहीं है।</td>
<td>एन०एम० को सुझाव दिया गया कि केंद्र पर एक ब्यायालय की व्यवस्था कराये।</td>
<td>एन०एम०</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

5. नगरीय स्वास्थ्य केंद्र—दीवाना बाजार, गोरखपुर।

<table>
<thead>
<tr>
<th>कम संख्या</th>
<th>अवलोकन बिंदु</th>
<th>सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है।</th>
<th>जिम्मेदार व्यक्ति</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01 बीड़कल आफीसर, 02 टैफ नरस उपलब्ध होने के बावजूद भी प्रश्न नहीं कराये जा रहे हैं।</td>
<td>मेडिकल आफीसर को सुझाव दिया गया कि वह टैफ नरस के एस०बी०एन० प्रशिक्षण हेतु नामित करे।</td>
<td>मेडिकल आफीसर</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>आईजेक्सि. नीमोटीसी, इज्जेक्सि, टैथ्रोडिक्सि, सुस्तुकार, कफ सिरफ, लेब हेतु विशेष शेल्टर आदि उपलब्ध नही।</td>
<td>शहरी स्वास्थ्य समन्वय को सुझाव दिया गया कि समावेशित अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर दवाओं की</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>कम संख्या</td>
<td>अवलोकन बिनु</td>
<td>सुझाव / कार्यवाही जो की जानी है।</td>
<td>जिमेदार व्यक्ति</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>----------------</td>
<td>-------------------------------</td>
<td>----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>अन्तरा एवं छाया की उपलब्धता पर वाल-पोषिंग नहीं करायी गई है।</td>
<td>हॉस्पिटल प्रबंधक को को की वाल-पोषिंग का कार्य पूर्ण करने का सुझाव दिया गया।</td>
<td>मुख्य चिकित्सा अधीक्षक</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>स्टोर में मेडिकल कॉर्पोरेशन से ऐसी भी दवाएं सलाह की जा रही है, जिनका उपयोग महिला चिकित्सालय में नहीं है यथा: इन्जेक्शन प्रोसिडिंग, लेबिटालिंग, इन्डिपेंडेंट इत्यादि। मेडिकल कॉर्पोरेशन द्वारा ऐसी दवाइयाँ जो ड्रॉप्स में आनी चाहिये, वे बॉटल्स में उपलब्ध करायी जा रही है।</td>
<td>मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्सालयाधिकारी को इस सम्बन्ध में अवगत करा दिया गया है। मुख्य चिकित्सालयाधिकारी द्वारा आश्वासन 'दिया गया कि वह इस प्रकार की समस्याओं को समाप्त करा दिया जायेगा। चिकित्सालय में आवश्यक ऑपरेशन को उपलब्धता शीघ्र ही सुनिश्चित कर ली जायेगी।</td>
<td>मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सालयाधिकारी</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>जिला महिला चिकित्सालय नवविभिन्न 100 बेड़े को एमएचएक्स किंग में चलायी जा रही है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट द्वारा बनाया गया कि इस बिल्डिंग का निर्माण करने वाले</td>
<td>राजकीय निर्माण निगम के सुपरवाइजर से दल के सदस्य द्वारा फोन पर वार्ता की गई एवं उनको यह निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर उन कमियाँ को दूर करने की कार्यवाही करें एवं हॉस्पिटल मैनेजर से इस कार्य का फॉर्म-ए-अप करने का सुझाव दिया गया।</td>
<td>हॉस्पिटल मैनेजर</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>एजेंसी राजकीय निर्माण निगम के द्वारा बहुत जगहों पर छोटी-छोटी कमियाँ छोड़ रखी हैं।</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

6. जिला महिला चिकित्सालय, गोरखपुर।
अवगत कराना है कि 01.04.2012 से भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वर्तित लेखा पुस्तकों का रख-रखाव अनिवार्य कर दिया गया है।आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वर्तित लेखा पुस्तकों को संज्ञान में रखते हुए जनपद गोरखपुर के जनपदीय चिकित्सालय, जनपदीय महिला चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (कौडीराम एवं चरगांव) एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सहजनवाल) के लेखा-भिलेखा का (आंतरिक नियत्रण को ध्यान में रखते हुए) अवलोकन किया गया। लेखा अभिलेख उल्लेखनीय है कि आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अनुसार लेखा पुस्तकों, लेखालेख का रख-रखाव इत्यादि का पालन किया जाना अनिवार्य किया गया है तथा गाइड लाइन्स के अनुसार ही लेखा पुस्तकों को तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये है। उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अवलोकन से आख्या निम्नवत है।

विस्तीर्ण वर्ष 2019-20

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र :— (सहजनवाल) का लेखा एवं रिकॉर्ड का बिद्यार आवश्यक निम्नवत है—

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रम संख्या</th>
<th>अवलोकन बिनु</th>
<th>सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है</th>
<th>जिम्मेदार व्यक्ति</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>कार्यक्रमवार दिनांक 28.06.2019 तक की कैश बुक की प्रतिदिन बेलेंसिंग और टॉटलिंग नहीं की जा रही है तथा सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित नहीं कि जा रही है।</td>
<td>व्यक्ति प्रतिदिन बेलेंसिंग और टॉटलिंग की जानी चाहिए।</td>
<td>व्यक्ति लेखा प्रबंधक / प्रमाणी चिकित्सा अधिकारी</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>व्यक्ति के टैली डाटा में रूपांतर 32,98,469,00 का ऑपरेशन डिफरेंस पाया गया जो यह दर्शाता है की टैली डाटा की फीडिंग अपर्यून है।</td>
<td>टैली डाटा एंट्री की फीडिंग जानी चाहिए।</td>
<td>व्यक्ति लेखा प्रबंधक</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>व्यक्ति लेखा प्रबंधक द्वारा किसी भी माह का बैंक समाधान स्टेटमेंट नहीं बनाया गया है।</td>
<td>प्रति माह बैंक समाधान स्टेटमेंट बनाया जाना चाहिए।</td>
<td>व्यक्ति लेखा प्रबंधक / प्रमाणी चिकित्सा अधिकारी</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>माह अप्रैल 2019 से जून 2019 की रिपोर्ट में व्याज कैश बुक में दर्शाए गए है जब की टैली डाटा में व्याय नहीं दर्शाए गए है जो निम्नवत है।--</td>
<td>टैली डाटा एंट्री की फीडिंग जानी चाहिए।</td>
<td>व्यक्ति लेखा प्रबंधक</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Date</th>
<th>Amount(Rs)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>06.04.2019</td>
<td>6990/-</td>
</tr>
<tr>
<td>08.04.2019</td>
<td>4000/-</td>
</tr>
<tr>
<td>04.05.2019</td>
<td>500/-</td>
</tr>
<tr>
<td>06.05.2019</td>
<td>1,07,800/-</td>
</tr>
<tr>
<td>Date</td>
<td>Amount(Rs)</td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td>08.05.2019</td>
<td>13100/-</td>
</tr>
<tr>
<td>08.05.2019</td>
<td>1000/-</td>
</tr>
<tr>
<td>14.05.2019</td>
<td>6825/-</td>
</tr>
<tr>
<td>14.05.2019</td>
<td>2000/-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

6. टी०टी०एस० रिटेन संयम से नहीं फाइल किया जा रहा है।

7. निरीक्षण के दौरान कोटेशन व टेंडर से समबंधित अभिलेख नहीं उपलब्ध कराए गए।

8. निरीक्षण के दौरान जनरेटर की लोंग बुक नहीं उपलब्ध कराई गई।

9. रोगी कल्याण समिति की केंश बुक नहीं बनाई गई है।

10. अल्टरनेटिव वेक्सीन डिजीवी का बिल दिनांक 30.05.2019 पिएफ०एम०एस० संख्या C051920665447 द्वारा बिना सत्यापित किये रूपए 23940 का भुगतान किया गया।

11. निरीक्षण के दौरान स्टॉक रजिस्टर नहीं उपलब्ध कराया गया।

12. एडवांस रजिस्टर नहीं बनाया गया है।

13. रोगी कल्याण समिति वर्ष 2016-17 का ऑडिट नहीं कराया गया है।
2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र: (कोडीराम) का लेखा एवं रिकॉर्ड का बिदुधार आयशा निम्नवत है:—

<table>
<thead>
<tr>
<th>कम संख्या</th>
<th>अवलोकन बिनु</th>
<th>सुझाव/कार्ययाही जो की जानी है।</th>
<th>जिम्मेदार व्यक्ति</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>ब्लॉक के टेली डाटा में रूपए 34,65,465.00 का ओपनिंग डिकर्स पाया गया जो—यह दर्शाता है की टेली डाटा की फीडिंग अपूर्ण है।</td>
<td>टेली डाटा एंट्री की फीडिंग की जानी चाहिए।</td>
<td>ब्लॉक लेखा प्रबंधक</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>माह अप्रैल 2019 से जून 2019 की रिपोर्ट में व्यय टेली डाटा में दर्शाए गए हैं जब की कैश बुक में व्यय नहीं दर्शाए गए हैं:—</td>
<td>कैश बुक में एंट्री दशा जाए।</td>
<td>ब्लॉक लेखा प्रबंधक</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Date</th>
<th>Amount(Rs)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>17.05-2019</td>
<td>27500.00</td>
</tr>
<tr>
<td>17.06-2019</td>
<td>30160.00</td>
</tr>
<tr>
<td>17.06.2019</td>
<td>13034.00</td>
</tr>
<tr>
<td>26.06.2019</td>
<td>33000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>26.06.2019</td>
<td>5720.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>| 3 | टी०डी०एस० रिटर्न समय से नहीं फाइल किया जा रहा है | ब्लॉक लेखा प्रबंधक को सुझाव दिया गया की टी०डी०एस० रिटर्न समय से फाइल किया किया जाए। |
| 4 | ब्लॉक लेखा प्रबंधक द्वारा किसी भी माह का बैंक समाधान स्टेटमेंट नहीं बनाया गया है। | प्रति माह बैंक समाधान स्टेटमेंट बनाया जाना चाहिए। |
| 5 | मेसर्स ऑम साई इलाइट्र्राइज को बिना वर्क आर्डर एवं कॉटेशन के बिना रू 27500.00 का भुगतान किया गया। | रू 20,000.00 से ऊपर तथा रू1,00,000.00 तक के भुगतान में वर्क आर्डर एवं कोटेशन की प्रक्रिया का अनुसार प्रति माह बैंक समाधान स्टेटमेंट बनाया जाना चाहिए। |
| 6 | मेसर्स भवार्यान एंड सन्स को रू 23595.00 का भुगतान किया गया, निर्नयन करने पर पाया गया कि तलक भुगतान के साथ वर्क आर्डर और कोटेशन पर तारीख अंकित नहीं थी। | वर्क आर्डर और कोटेशन के निर्णय पर तारीख अंकित की जानी चाहिए। |
| 7 | मेसर्स रीयल मेकर्स को रू 33000.00 का भुगतान किया गया, | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>निर्देशन करने पर पाया गया कि उत्तर मुग्धान के साथ वर्क ऑर्डर और कोटेशन पर लारीख अकित नहीं थी।</th>
<th>रोगी कल्याण समिति के वार्तास का रख रखाव उदात्त धंग रोगी कल्याण समिति के वार्तास का रख रखाव उदात्त धंग से किया जाना चाहिए।</th>
<th>ब्लॉक लेखा प्रबंधक</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>8 रोगी कल्याण समिति के वार्तास का रख रखाव उदात्त धंग से नहीं किया जा रहा है।</td>
<td>ब्लॉक लेखा प्रबंधक।</td>
<td>ब्लॉक लेखा प्रबंधक/प्रमाणी विकल्पा अधिकारी</td>
</tr>
<tr>
<td>9 दिनांक 20.05.2019 को 'जनरेटर के पेट्रोल के लिये रु 26250.00 का मुग्धान किया गया। जोचक के दौरान मुग्धान से समबन्धित बिल नहीं पाया गया।</td>
<td>विना बिल संरक्षा किये किसी भी प्रकार का मुग्धान न किया जाए।</td>
<td>ब्लॉक लेखा प्रबंधक प्रबंधक/प्रमाणी विकल्पा अधिकारी</td>
</tr>
<tr>
<td>10 एडवांस रजिस्टर नहीं बनाया गया है।</td>
<td>एडवांस रजिस्टर नहीं बनाया गया है।</td>
<td>ब्लॉक लेखा प्रबंधक</td>
</tr>
<tr>
<td>11 मनोक्षेत्र के दौरान एडवांस रजिस्टर को उपलब्ध कराया गया।</td>
<td>एडवांस रजिस्टर नहीं बनाया गया है।</td>
<td>ब्लॉक लेखा प्रबंधक प्रबंधक/प्रमाणी विकल्पा अधिकारी</td>
</tr>
<tr>
<td>12 एडवांस रजिस्टर नहीं बनाया गया है।</td>
<td>एडवांस रजिस्टर नहीं बनाया गया है।</td>
<td>ब्लॉक लेखा प्रबंधक</td>
</tr>
<tr>
<td>13 आशा पेमेंट के फार्म समबन्धित अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गये।</td>
<td>आशा पेमेंट के फार्म तैयार एवं प्रमाणित कर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।</td>
<td>ब्लॉक लेखा प्रबंधक प्रबंधक/प्रमाणी विकल्पा अधिकारी</td>
</tr>
</tbody>
</table>

3. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र:—(चरगाह) का लेखा एवं रिकार्ड का विद्युतार आश्चर्या निम्तव है—

<table>
<thead>
<tr>
<th>कम संख्या</th>
<th>अवलोकन बिन्दु</th>
<th>सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है।</th>
<th>जिम्मेदार व्यक्ति</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>ब्लॉक लेखा प्रबंधक द्वारा किसी भी माह का बैंक समाधान स्टेटमेंट नहीं बनाया गया है।</td>
<td>प्रति माह बैंक समाधान स्टेटमेंट बनाया जाना चाहिए।</td>
<td>ब्लॉक लेखा प्रबंधक प्रबंधक/प्रमाणी विकल्पा अधिकारी</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>टी०ड००००० रिटन मसय मे नहीं फाइल किया जा रहा है।</td>
<td>ब्लॉक लेखा प्रबंधक को सुझाव दिया गया की टी०ड००००० रिटन मसय मे नहीं फाइल किया किया जाए।</td>
<td>ब्लॉक लेखा प्रबंधक प्रबंधक/प्रमाणी विकल्पा अधिकारी</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>निरीक्षण के दौरान जनरेटर की लॉंग बुक नहीं उपलब्ध कराई गई।</td>
<td>जनरेटर की लॉंग बुक प्रतिदिन पूर्ण कर एवं समबन्धित अधिकारी से हस्ताक्षरित करकर प्रस्तुत की जानी चाहिए।</td>
<td>ब्लॉक लेखा प्रबंधक प्रबंधक/प्रमाणी विकल्पा अधिकारी</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>रोगी कल्याण समिति की कैश बुक नहीं बनाई गई है।</td>
<td>कैश बुक शीर्ष</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
4. जिला महिला चिकित्सालय (गोरखपुर) का लेख एवं रिकॉर्ड का बिदुवार आख्या निम्नवत हैः—

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रम संख्या</th>
<th>आवलोकन बिन्दु</th>
<th>सुझाव/कार्यवाही जो की जानी हैं</th>
<th>जिम्मेदार व्यक्ति</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>पीएमएमएमएस० रजिस्टर का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारियों से नहीं कराया जा रहा है।</td>
<td>पीएमएमएमएस० रजिस्टर का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारियों से शीघ्र अतिशयघ्न कराया जाए</td>
<td>सीएमएस०/अकाउंटेंट</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>अकाउंटेंट द्वारा किसी भी माह का बैंक समाधान स्टेटमेंट नहीं बनाया गया है।</td>
<td>अकाउंटेंट के बैंक समाधान स्टेटमेंट बनाया जाना चाहिए।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>डेट स्टॉक रजिस्टर नहीं बनाया गया है।</td>
<td>डेट स्टॉक रजिस्टर शीघ्र अतिशयघ्न बनाना सुनिश्चित करे।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>एडवायंस रजिस्टर नहीं बनाया गया है।</td>
<td>एडवायंस रजिस्टर शीघ्र अतिशयघ्न बनाना सुनिश्चित करे।</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
5. जिला चिकित्सालय (गोरखपुर) का लेखा एवं रिकॉर्ड का बिदुवार आख्या निम्नवत है:—

<table>
<thead>
<tr>
<th>कम संख्या</th>
<th>आवलोकन बिन्दु</th>
<th>सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है।</th>
<th>जिम्मेदार व्यक्ति</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>एडवांस रजिस्टर नहीं बनाया युक्त है।</td>
<td>एडवांस रजिस्टर शीघ्र अतिशीघ्र बनाना सुनिश्चित करे।</td>
<td>सी.एम.एस/अकाउंटेंट</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>दिनांक 19.04.2019 एवं 30.04.2019 को आकृति कंस्ट्रक्शन को जेनरेटर के पेट्रोल के लिए रु. 26250.00 का भुगतान किया गया। निरीक्षण के दौरान भुगतान से सम्बंधित बिल नहीं पाए गए।</td>
<td>बिना बिल संग्रहक्षण किये किसी भी प्रकार का भुगतान न किया जाए।</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
प्रेषकः

मिशन निदेशाक,
राज्यीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति,
   जनपद गोरखपुर।

2. मुख्य विकित्सा संचालक,
   जनपद गोरखपुर।

पत्रांकः–एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./सहयोगी संस्थान परीक्षण/2019–20/

दिनांक: 05.08.2019

विशेषः– राज्य स्तरीय दल द्वारा 23 से 26 जुलाई 2019 तक किये गये परीक्षण की आख्या पर कार्यवाही
किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया एस.पी.एम.यू कार्यालय ग्राम संस्थान नौकरी/आश्रम परीक्षण/2019–20/18/2867–2 दिनांक 01–
07-2019 का संदेह प्राप्त करने का कदम करें। जिसके क्रम में, राज्य स्तरीय दल द्वारा दिनांक 23 से 26
जुलाई, 2019 तक जनपद गोरखपुर की चिकित्सा सेवाओं का सहयोगी संस्थान परीक्षण किया गया। राज्य
स्तरीय दल द्वारा जनपद की चिकित्सा सेवाओं का स्थानीय परीक्षण के दौरान प्रकाश के आधार पर भौतिक एवं
विज्ञान अध्ययन आयोजन समझौता के अनुसार हटु प्रेषित की गयी है जो कि पत्र के साथ संलग्न कर
सुधारालय कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

अपने अनुस्मारक है कि समयभर विनोदों पर आवश्यक कार्यवाही करने का कदम करें।

संलग्नः परीक्षण आख्या

भवदीय

(भरीम अंतरिक्षा ए)
अपर मिशन निदेशक

पत्रांकः–एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./सहयोगी संस्थान परीक्षण/2018–19/ 4033-2(5) तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित–

1. मण्डलाधिकारी, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर, उ.0930।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, विशेष एवं पत्रकार, गोरखपुर मण्डल।
3. अधिशासी अधिनियम, समस्त महाप्रवक्ताओं/अनुभाग, एसोसीएमयू, एन.एच.एम, उ.0930।
4. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम, गोरखपुर मण्डल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, गोरखपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा. अश्विन कुमार)
महाप्रबंधक राज्यीय कार्यक्रम/
मण्डलीय नोटिकल – गोरखपुर